→ Sh. shailesh
RW
31/8/21

प्रेषक :- चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट
बराबर मे तहसील कम्पाउन्ड सी०ओ० आफिस के गढ़मुक्तेश्वर जिला-हापुड
प्रेषित - श्रीमान जनसूचना अधिकारी / श्रीमान सी०ई०ओ० महोदय / पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड प्लाट नं० पाकेट एन० गंगानगर मेरठ

विषय - जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अधीन प्रार्थना पत्र -

कृपया मुझे निम्न सूचना / जानकारी / उपलब्ध दस्तावेजो की प्रति लिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

① यह कि आपके विभाग मे सभी कर्मचारी / अधिकारी विभाग से अपनी सेवा के लिए प्रतिफल / वेतन प्राप्त करते है। या कोई कर्मचारी बिना वेतन लिए भी कार्य करता है।

② यह कि भूस्वामियो को टावर के नीचे आये रकबे का सर्किल दर से 85% मुआवजा देने के लिए भूस्वामियो से लिए जा रहे शपथपत्र / अनुबन्ध पत्र की धारा 6 मे अनुबन्ध लेख (टावर के पास के कटाव का संरक्षण की जिम्मेदारी भूमि के स्वामी की होगी) बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का उल्घन करके कृषको से बेगार लेने के लिए आपके पास यदि किसी न्यायालय / या सरकार द्वारा पारित अध्यादेश है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

③ यह कि आप अपने कार्य को करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 प्राप्त शक्ति का विस्तार आपने भूस्वामियो को कार्यवाही का डर दिखाते हुए बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का उल्घन करके बिना कोई प्रतिफल दिये बेगार कराने के लिए अपने आप को प्राप्त शक्तियो के बारे मे बताने का कष्ट करे।

अतः श्रीमान जी से सानुरोध प्रार्थना है कि उपरोक्त सूचना / जानकारी / दस्तावेजो की प्रति समयावधि मे उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

दिनॉक - 26/08/2021
संलग्न - देय शुल्क 10 रु का भा० पो० आ० सं० 54F 580324 संलग्न है।

प्रार्थी
चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट
सी०ओ० आफिस के बराबर मे तह० कम्पाउन्ड गढ़ (हापुड़)
Mob No. 875581110

दस टका, दश टाका ૧૦ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ൧൦ രൂപ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

जारी करने वाले डाकघर की तारीख सहित मुहर
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS,

PAY TO श्रीमान जन सूचना अधिकारी / श्रीमान सी० इ० ओ० महोदय P.G. MSTEL मेरठ को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

अदा करने वाले डाकघर की तारीख सहित मुहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

सत्यमेव जयते

पत्तु रूपाय

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

मेरठ

के डाकघर में अदा करें ।

चौ० चर्मेन्द्रसिंह एडवोकेट सी०ओ० आफिस के बराबर मे तह० कम्पाउंड हापुड़ (हापुड़)

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

54F 580324

पावरग्रिड
POWERGRID

पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारत सरकार का उद्यम)
POWERGRID MEERUT SIMBHAVALI TRANSMISSION LIMITED
(A wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited, A Government of India Enterprise)

कार्यालय : प्लॉट नं0 1, पॉकेट–एन, गंगानगर, मेरठ–250001 (उ0 प्र0) / Office : Plot No. 1, Pocket-N, Ganga Nagar, Meerut-250001 (UP). Ph. : 0121-7962557
CIN :U40106DL2019G01351476

संदर्भ सं.: पावरग्रिड एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई./ 675 दिनांक: 22.09.2021

सेवा में,

श्री धर्मेंद्र सिंह एड्वोकेट,
सी. ओ. आफिस के बराबर में तहसील कम्पाउंड,
तहशील गढ़मुक्तेश्वर, जिला – हापुड़।

विषय: दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त आर. टी आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2021 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2021 के संदर्भ में पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड से सम्बंधित बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न. 1: यह कि आपके विभाग में सभी कर्मचारी /अधिकारी विभाग से अपनी सेवा के लिए प्रतिफल /वेतन प्राप्त करते हैं या कोई कर्मचारी बिना वेतन लिए भी कार्य करता है।

जानकारी: विभाग के सभी कर्मचारी/अधिकारी वेतन प्राप्त करते हैं।

बिंदु न. 2: यह की भूस्वामियों को टावर के निचे आये रकबे का सर्किल दर से 85% मुआवजा देने के लिए भूस्वामियों से लिए जा रहे शपथ पत्र /अनुबंध पत्र कि धारा 6 में अनुबंध लेख (टावर के पास के कटाव का संरक्षण कि जिम्मेदारी भू के स्वामी कि होगी) बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का उल्लंघन करके कृषकों से बेगार लेने के लिए आपके पास यदि किसी न्यायलय या सरकार द्वारा पारित अध्यादेश है तो उसकी प्रति उपलब्ध करने का कष्ट करें।

जानकारी : भूस्वामियों को टावर के निचे कि भूमि का मुआवजा देने हेतु शपथ पत्र लिया जा रहा है। यह कोई अनुबंध पत्र नहीं है। तथा टावर के निचे तथा आस-पास कि भूमि का कटाव टावर कि सुरक्षा कि दृष्टि से वर्जित है। पारेषण लाइन का कार्य विद्युत अधिनियम 2003 तथा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

बिंदु न.3: यह कि आप अपने कार्य को करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 कि धारा 164 प्राप्त शक्ति का विस्तार आपने भूस्वामियों को कार्यवाही का डर दिखाते हुए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का उल्लंघन करके बिना कोई प्रतिफल दिए बेगार कराने के लिए अपने आप को प्राप्त शक्तियों के बारे में बताने का कष्ट करें।

जानकारी: विद्युत अधिनियम के अंतर्गत पारेषण लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके द्वारा किसी को भी डराया नहीं जा रहा है अथवा किसी भूस्वामी से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण
श्री ए .के .मिश्रा,कार्यकारी निदेशक) उ .क्षे (1.प्रथमअपीलीय प्रधिकारी)
पावरग्रिड कॉर्पोरेशनऑफ इंडिया लिमिटेड,उ .क्षे 1.मुख्यालय,
SCO बे .संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद) हरियाणा(-121002, फोनन .0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय
22/9/21
[ए. अहमद]
सी०इ०ओ० एंड डेसिगनेटेड सी०पी०आई०ओ०
पी.एम.एस.टी.एल
मेरठ

o/c